

राजस्थान सरकार
पशुपालन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक एफ.वी.12(5)स-1/2020

जयपुर दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त परीक्षा 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (probationer-trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	आदित्य खण्डेलवाल	श्री संतोष कुमार खण्डेलवाल	पुरुष	19-10-1996	सामान्य	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
2	सुनिति	श्री घेवर राम	महिला	22-07-1995	अ.पि.व.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर
3	मोहित मारु	श्री सुरेन्द्र मारु	पुरुष	23-01-1993	अ.पि.व.	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग बीकानेर
4	हेमन्त कुमार शर्मा	श्री रास बिहारी शर्मा	पुरुष	07-10-1997	सामान्य	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग जयपुर
5	संदीप यादव	श्री चन्द्र शेखर यादव	पुरुष	14-01-1994	अ.पि.व.	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
6	विक्रम सिंह बागौड़	श्री रावत सिंह बागौड़	पुरुष	29-03-1990	सामान्य	कार्यालय उप निदेशक, क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्र पशुपालन विभाग, बीकानेर
7	प्रकाश चौधरी	श्री प्रहलाद चौधरी	पुरुष	05-07-1990	अ.पि.व.	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
8	अशोक शर्मा	श्री बिरदी चन्द शर्मा	पुरुष	15-02-1992	सामान्य	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
9	सवाईदान	श्री मूल दान	पुरुष	02-11-1999	अ.पि.व.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर
10	संजय सेपट	श्री काना राम सेपट	पुरुष	18-10-2000	अ.पि.व.	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
11	रतनलाल कुम्हार	श्री सीताराम कुम्हार	पुरुष	21-03-1990	अ.पि.व.	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
12	सूरज प्रकाश कुमावत	श्री नाथूलाल कुमावत	पुरुष	05-08-1996	अ.पि.व.	कार्यालय उपनिदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, पांचबत्ती, जयपुर

13	कमल कुमार सैनी	श्री जसवन्त राज	पुरुष	07-07-1992	अ.पि.व.	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग बीकानेर
14	नरेश कुमार	श्री मुरलीधर	पुरुष	01-07-1993	अ.पि.व.	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
15	राजूराम गुर्जर	श्री पूसाराम	पुरुष	04-08-1997	एम.वी.सी	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
16	कृष्ण कुमार वर्मा	श्री ईश्वर लाल वर्मा	पुरुष	11-10-1985	अनु.जाति	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
17	सुरेश कुमार मीना	श्री कैलाश चन्द मीना	पुरुष	13-11-1999	अनु.जन जाति	निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :-

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे की वें कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी /सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से होगी।
- परीवीक्षा काल (probationer Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
11. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(डा. वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.वी.12(5)स-1/2020 7883-99
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर दिनांक 03/07-2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र पशुपालन विभाग, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर।
6. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जैसलमेर।
7. उप निदेशक, बहुउद्देशीय पशुपालन विभाग, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जैसलमेर।
8. उप निदेशक, क्षेत्रीय रोग निदान विभाग, पशुपालन विभाग, बीकानेर।
9. सम्बन्धित-----।
10. रक्षित पंजिका।


निदेशक